(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकरी द्वारा भरा जाएगा

3(ii) भाग–II

(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या

7	परियोजना/स्कीम का स्थान मिसराज पट्टी एंव दुधई ग्राम पंचायत	**राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क(एनओएफएन)** (भारत सरकार की एक परियोजना ग्राम पंचायतो को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है)
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	देहरादून
(iii)	वन विभाग	कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी
(iv)	व्नेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	0.0951 हे0
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणी वार वृक्षों की परिगणन (संलग्न की जाए)सिंचाई/जलीय परियोजना और एफ0आर0एल0–04 मीटर भी संलग्न किये जायें	कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा,
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू: क्षरण की सम्भावना नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थाल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	—
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व,बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाय)	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है।(यदि हां तो संबन्धी ब्यौरा दें)	नहीं
(xii)	क्या कोई सुरिक्षत पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेंत्र में स्थित है (यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ, यदि अपेक्षि हो, दें)	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र ? क्या	यह न्यूनतम भूमि है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	—
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी भू–खण्ड का आकार	—
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आसपास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है।
(iii)	प्रतिपूरक रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित वनीकरणा स्कीम के वितरण, कार्यान्वयष्न एजेन्सी, समय अनेसूची, लागत, ढांचा आदि	—

(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय इकाई दृष्टिकोंण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11--उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम–7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12--विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3088^2 Km
(ii) जिले का वन क्षेत्र	2116.91 वर्ग किमी0
(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	768.59 है0
(iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	768.59 है0
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	–
(ख) वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	768.59 है0
(v)–अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति क– वन भूमि पर (आरक्षित) ख– वनेत्तर भूमि पर (सिविल)	 4308.09 है0 768.59 है0
13--प्रस्ताव की स्वीकृत कराने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	यह परियोजना विकास सम्बन्धी है जो कि जनसेवा के लिये अत्यन्त आवश्यक है। प्रस्ताव स्वीकृति की प्रबल संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

स्थान--कालसी।

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर